

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या:क0नि0-2- ५११ /ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(६९)-2011

दिनांक: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-307/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(57)-2010 दिनांक 19 फरवरी, 2010 का अधिकमण करके राज्यपाल, निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम सन् 2008 के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से उक्त अधिनियम सन् 2008 के किसी अन्य उपबंध के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त नीचे सारिणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल के यथास्थिति विक्रय या कय या दोनों, के कराधेय आवर्त पर उक्त सारिणी के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सम्मुख विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा:-

सारिणी

क्रम संख्या	माल का विवरण	दर
1	2	3
1-	घोषित माल से भिन्न उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में वर्णित माल	1 प्रतिशत
2-	प्राकृतिक गैस	5 प्रतिशत
3-	सीमेंट	3 प्रतिशत
4-	ट्रैक्टरों को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर यान एवं इनके चेसिस	2 प्रतिशत
5-	टायर एवं ट्यूब्स, जिसमें साइकिल, साइकिल-रिक्शा एवं पशु चालित यान के टायर एवं ट्यूब्स सम्मिलित नहीं हैं।	3 प्रतिशत
6-	सिगरेट	5 प्रतिशत
7-	उपर्युक्त क्रमांक-3, 4, 5 व 6 पर वर्णित माल से भिन्न उक्त अधिनियम की अनुसूची-पाँच में वर्णित माल	1 प्रतिशत

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

प्रमुख सचिव